न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक—696—तीन/2014 विरूद्ध आदेश, दिनाक 12.02.2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर के प्रकरण कमांक—378/अ—6/2012—2013

1—जगत सिंह तनय केरो सिंह,
निवासी ग्राम बर्रट, पो. कुण्डलपुर तह. पटेरा,
जिला—दमोह म0प्र0।

निगराकार.....

विरूद्ध

1—रूपरानी पति लक्षमण सिंह लोधी

2—तिलक सिंह तनय गनेश सिंह राजपूत,
दोनों निवासी ग्राम बर्रट पो0 कुंडलपुर तह0 पटेरा,
जिला—दमोह मध्य प्रदेश।

गैरनिगराकार.....

श्री राजेन्द्र पटेरिया, आवेदक अधिवक्ता

श्री के0 के0 सिलाकारी, अनावेदक अधिवक्ता

आ दे श ::

(पारित दिनांक– 2.3. 2016)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 12.2.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 115–116 के तहत दिनांक 20.10.2011 को इस आशय का आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्राम बर्रट की भूमि खसरा कमांक 91/3 व 91/4 दोनों का कुल रकबा 0.73 हेक्टेयर उसके भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज है तथा यह भूमि उसके द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 26.7.07 के माध्यम से कय की गयी है, कय की गयी भूमि की चतुरसीमाएं विकय पत्र में अंकित हैं। बैनामा के आधार पर नक्शा दुरूस्ती नहीं की गयी है जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा इश्तहार प्रकाशन एवं आवेदक का जबाब प्राप्त कर अपने प्रकरण कमांक 5/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 31.1.12 से नक्शा संशोधन का आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय हटा द्वारा अपने प्रकरण कमांक 15/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 28.2.13 से अपील निरस्त कर दी गयी। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक 378/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 12.2.14 से निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक 12.2.14 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर विचाराधीन है।

प्रकरण में विद्यमान उपरोक्त तथ्यों के संबंध में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि प्रकरण में वर्णित वाद विषय के संबंध में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है ऐसी स्थिति में प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त कर दिया जावे। अनावेदक

अधिवक्ता द्वारा जो न्यायालय में उपस्थित थें उनके द्वारा भी आवेदक अधिवक्ता के तर्को का समर्थन करते हुए आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं की गयी।

विचारोपरांत प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता के निवेदन के आधार पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो।

2.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश,
ग्वालियर